

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 716/2014)
(संस्थित दिनांक :- 12/08/2014)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामबिहारी शर्मा पुत्र रामचरन शर्मा, उम्र 63 वर्ष।
 02. महावीर शर्मा पुत्र रामदास शर्मा, उम्र 45 वर्ष।
 03. छुन्ना शर्मा पुत्र रामदास शर्मा, उम्र 32 वर्ष।
 04. राहुल शर्मा पुत्र महावीर शर्मा, उम्र 22 वर्ष।
- निवासीगण :- ग्राम ऐंचाया, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 22/02/2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल पर भा.द.सं. की धारा 294, 447, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 18/07/2014 की सुबह लगभग 07:30 बजे नट वाला खेत नहर के पास स्थित ग्राम ऐंचाया में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी पप्पी देवी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, उसने अपराध करने के आशय से फरियादी पप्पी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पप्पी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी पप्पी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 18/07/2014 की सुबह लगभग 07:30 बजे नट वाला खेत नहर के पास स्थित ग्राम ऐंचाया में, आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल द्वारा खेत में प्रवेश करने, उससे गाली-गलौच करने, उसकी घातक आयुध सरिया से मारपीट करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी पप्पी देवी द्वारा उसी दिनांक को सुबह 09:15 बजे थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 251/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 447 एवं

506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी पप्पी देवी, साक्षीगण मुकेश शर्मा एवं रामलखन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल के विरुद्ध धारा 294, 447, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल ने दिनांक :- 18/07/2014 की सुबह लगभग 07:30 बजे नट वाला खेत नहर के पास स्थित ग्राम ऐंचाया में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी पप्पी देवी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अपराध करने के आशय से फरियादी पप्पी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया?
03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पप्पी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की?
04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी पप्पी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
05. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 लगायत 04

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी पप्पी देवी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी रामबिहारी, महावीर, राहुल एवं छुन्ना को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/03/2017 से लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व की होकर सुबह 08:00 बजे की है। वह अपने मायके ऐंचाया गई थी, उसका ऐंचाया में एक बीघा का खेत है। उसने अपने उक्त खेत में बाजरा बोया था, तो आरोपीगण ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया और उसका खेत जोत रहे थे और जब उसने कहा कि उसका खेत क्यों जोत रहे हो तो उक्त आरोपीगण ने उसे मादरचोद की गालियाँ दी और उसके बाद महावीर ने उसे पकड़ लिया था और उक्त आरोपीगण ने उसकी लात-टूँसों एवं डण्डों से मारपीट की थी, जिससे उसके बाये हाथ की कलाई में चोट आई थी एवं उसकी पीठ में चोट आई थी। फिर रामलखन एवं मुकेश ने उसे बचाया था। उसके बाद वह भग आई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी पप्पी देवी अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गई, आइंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी पप्पी देवी अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि छुन्ना एवं रामबिहारी ने उसे पकड़ लिया था, महावीर एवं राहुल ने उसे सरिया मारे थे, जिससे उसके बाये हाथ की कलाई एवं दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई थी।

09. साक्षी मुकेश शर्मा अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी रामबिहारी, महावीर, राहुल एवं छुन्ना को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/03/2017 से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व की होकर सुबह 07-08 बजे की है। फिर कहा कि ग्यारह बजे झगड़ा हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने पप्पी देवी की हाथ एवं डण्डों से मारपीट की थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मारपीट एवं झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, वह घटनास्थल से चार खेत दूर बाईक लेकर चला गया था और आधा घण्टे बाद उसकी भाभी उसके पास आई थी। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी मुकेश शर्मा अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक :- 18/07/2014 को करीबन सात बजे जब वह भाभी के साथ खेत में बाजरा की

फसल बोने के लिए आया था, जब वह लोग खेत पर पहुँचे, तो आरोपी रामबिहारी, राहुल, महावीर एवं छुन्ना भाभी के खेत पर ट्रैक्टर से खेत जोतते मिले। साक्षी मुकेश शर्मा अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब उसकी भाभी ने खेत जोतने से मना किया तो आरोपीगण बोले कि मादरचोद खेत तेरा है क्या, हम तो जोतेगें एवं जब उसकी भाभी ने मना किया तो रामबिहारी एवं छुन्ना ने भाभी पप्पी को पकड़ लिया तथा राहुल एवं महावीर ने सरिया से मारपीट की। साक्षी मुकेश शर्मा अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने एवं रामलखन ने घटना में बीच-बचाव कराया था।

10. प्रथमतः तो आहत पप्पी अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के पूर्व आरोपीगण द्वारा सरिया से मारपीट करने का कोई तथ्य नहीं बताया था। जबकि कोई आहत व्यक्ति जिसे सरिया से मारा जाये, वह यह भूल नहीं सकता कि उसकी मारपीट सरिये से की गई थी। इसलिए अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आहत पप्पी अ.सा.02 द्वारा सरिया से मारपीट करने वावत् दर्शित तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आहत पप्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह झगड़े वाले दिन गोहद से सुबह 06:00 बजे चलकर 08:00 बजे अपने खेत पर अर्थात् घटनास्थल पर पहुँच गई थी। जबकि उसके स्वयं के द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में आरोपित घटना का समय सुबह 07:30 बजे का लिखा हुआ है। ऐसी दशा में जबकि आहत पप्पी अ.सा.02 घटनास्थल पर ही सुबह 08:00 बजे पहुँची, तब सुबह 07:30 बजे उक्त घटनास्थल पर उसके साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में असंभव प्रतीत होता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आहत पप्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपित घटना में झगड़े के दौरान उसे हाथ में चार-पाँच, पीठ में चार-पाँच, आंख के पास एक, इस प्रकार कुल दस-बारह चोटें आई थी। साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि उसकी भाभी पप्पी को सीधे हाथ, पीठ, पेट एवं अन्य जगहों पर चोटें आई थी। जबकि पप्पी अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में पप्पी अ.सा.02 ने आरोपित घटना में केवल बाये हाथ की कलाई, दाये हाथ की कलाई एवं पीठ में चोट कारित होने का उल्लेख किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में पीठ में चार-पाँच अथवा आँख के पास कोई चोट कारित होने का उल्लेख नहीं है। आहत पप्पी अ.सा.02 को चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आहत पप्पी के शरीर पर पीठ पर अथवा आंख के पास किसी चोट का या आहत के शरीर पर दस-बारह चोटें होने का उल्लेख नहीं किया है। इस वावत् डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि उनके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। इस प्रकार आरोपित घटना में आहत पप्पी अ.सा.02 को कारित हुई चोटों की संख्या एवं

स्थान के संबंध में आहत पप्पी अ.सा.02, मुकेश अ.सा.03 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, पप्पी अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आहत पप्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह घटना के बाद मुकेश एवं लाखन के साथ रिपोर्ट करने थाना गोहद गई थी, जहाँ उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.03 मौखिक रूप से बोलकर लिखाई थी और वह दोपहर 11:00 बजे रिपोर्ट करने थाना गोहद पहुँच गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में आरोपित घटना की सूचना आहत पप्पी अ.सा.02 द्वारा थाना गोहद को प्राप्त होने का समय सुबह 09:15 बजे का अंकित है, ना कि दोपहर 11:00 बजे का। ऐसी दशा में जबकि फरियादी पप्पी अ.सा.02 सुबह 09:15 बजे थाना गोहद पर मौजूद ही नहीं थी, तब उसके द्वारा उक्त रिपोर्ट प्र.पी.03 कैसे लेखबद्ध कराई गई, यह तथ्य संदेहास्पद है। इसी प्रकार प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आहत पप्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसकी डॉक्टर अर्थात् मेडीकल परीक्षण दोपहर लगभग 01:00 बजे हुआ था। जबकि मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 में मेडीकल परीक्षण का समय दिनांक : 18/07/2014 के सुबह 09:45 बजे का होना अंकित है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध किये जाने के समय एवं मेडीकल परीक्षण किये जाने के समय के संबंध में, फरियादी पप्पी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आहत पप्पी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिन पहले उसने रिपोर्ट लिखाई थी, तत्पश्चात् उसकी डॉक्टर अर्थात् मेडीकल परीक्षण हुआ था। जबकि डॉक्टर के कथित चक्षुदर्शी साक्षी मुकेश अ.सा.03 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि उसकी भाभी पप्पी अ.सा.02 का पहले मेडीकल परीक्षण हुआ था, तत्पश्चात् रिपोर्ट लिखी गई थी। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में भी पप्पी अ.सा.02, मुकेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में पहले घटना सुबह 07-08 बजे की होना बताई है, तत्पश्चात् घटना 11:00 बजे की होना बताई है। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार घटना सुबह 07:30 बजे की है। इस प्रकार आरोपित घटना के समय के संबंध में मुकेश अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अभियोजन कथा से विरोधाभासयुक्त है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन कथा का यांत्रिक रूप से समर्थन करने के पूर्व मुकेश अ.सा.03 ने स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मारपीट एवं झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि वह ६

।टनास्थल से चार-खेत दूर बाईक लेकर चला गया था, आधा घण्टे बाद उसकी भाभी उसके पास आई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भी मुकेश अ.सा.03 का कहना है कि झगड़ा शुरू होते ही वह चार-पॉच खेत दूर भाग गया था, जहाँ से उसे झगड़ा होते हुये दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि आहत पप्पी अ.सा.02 ने झगड़े के समय साक्षी मुकेश अ.सा.03 के उपस्थित होने एवं उसके द्वारा बीच-बचाव कराये जाने का तथ्य दर्शित किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में पप्पी अ.सा.02 एवं मुकेश अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

14. अभियोजन साक्षी बलवंत अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 18/07/2014 को थाना गोहद में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी पप्पी देवी द्वारा आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, राहुल एवं छुन्ना के विरुद्ध रिपोर्ट करने पर, उसके द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 251/2014, अन्तर्गत धारा 447, 323, 294, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.स पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बलवंत अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03, फरियादी पप्पी देवी ने नहीं लिखाई है। जबकि साक्षी मुकेश अ.सा.03 का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा दोपहर 10:30 बजे लिखवाई गई थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 किसके द्वारा लिखवाई गई थी, इस वावत् साक्षी मुकेश अ.सा.03 एवं बलवंत अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. अभियोजन साक्षी एन.सी.यादव अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 18/07/2014 को पुलिस थाना गोहद में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक 251/2014 अन्तर्गत धारा 447, 323, 294 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी पप्पी शर्मा के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी पप्पी, साक्षीगण मुकेश एवं रामलखन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 31/07/2014 को आरोपीगण छुन्ना, रामबिहारी, राहुल एवं महावीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05 लगायत प्र.पी.08 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक एन.सी.यादव अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.04 पर फरियादी पप्पी के खाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये थे और उसके सामने कोई नक्शा-मौका नहीं बनाया था, जबकि स्वयं आहत पप्पी अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कहना है कि उसके सामने पुलिस ने नक्शा-मौका प्र.पी.04 की कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार इस वावत् पप्पी अ.सा.

02 एवं एन.सी.यादव अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल ने दिनांक :- 18/07/2014 की सुबह लगभग 07:30 बजे नट वाला खेत नहर के पास स्थित ग्राम ऐंचाया में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी पप्पी देवी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, उसने अपराध करने के आशय से फरियादी पप्पी के खेत में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पप्पी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी पप्पी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण रामबिहारी, महावीर, छुन्ना एवं राहुल के विरुद्ध धारा 294, 447, 324/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 447, 324/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद